

महत्वपूर्ण एवं खास

छात्राओं को बांटी गई साइकिल कोरबा (आरएनएस)। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजरबहार में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार की 26 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। साइकिल वितरण शाला प्रबंधन व विकास समिति के सदस्य और भूपूर्व सरपंच लवभूषण प्रताप सिंह ने प्रभारी प्राचार्य लखनलाल डहरिया के मार्गदर्शन में वितरित किया। इस मौके पर व्याख्याता मानसिंह राठिया, गिरधारी लाल यादव, सुभाष चन्द्र महतो, अमरसिंह प्रेमी, केबी निमजा, नेहा रानी राठौर, आभासिंह, गामता साहू, शशि देवांगन, मंजूलता सिंह, प्रधान पाठक देवेन्द्र चंदेल, नलिनी कांत साहू, अमरेंद्र प्रताप सिंह, मीनू निराला, नीरा, शनिराम उपस्थित रहे।

रिज्यूम सलेक्ट होने का झांसा देकर युवती से 1 लाख की ठगी रायपुर (आरएनएस)। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को नौकरी डाट कॉम से बोल रहा हूँ कहते हुए युवती से 1 लाख रुपए ठग लिया। प्रार्थिका की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार कृषक नगर जोरा निवासी प्रार्थिका अंजली शर्मा 27 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि उसके पास 87440-28622 से कॉल आया। उक्त व्यक्ति ने खुद को नौकरी डाट कॉम से बोल रहा हूँ कहते हुए प्रार्थिका से कहा कि आपका रिज्यूम सलेक्ट हुआ है। जिसके रिजस्ट्रेशन के नाम पर फोन पे के माध्यम 1 लाख रुपए ठग लिए। प्रार्थिका की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

घर के बाहर खड़ी एक्टिवा पार रायपुर (आरएनएस)। महावीर नगर राजेन्द्र नगर में अज्ञात चोर ने एक्टिवा पार कर दिया। प्रार्थिका की शिकायत पर राजेन्द्र नगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार महावीर नगर राजेन्द्र नगर निवासी प्रार्थिका सुनीता बोनकर 34 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि वह अपनी एक्टिवा वाहन क्रमांक सीजी 04 एलजे 3205 को घर के बाहर खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए एक्टिवा की कीमत करीब 20 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थिका की शिकायत पर राजेन्द्र नगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत रायपुर (आरएनएस)। आरंग थाना क्षेत्र के श्रीराम तिराहा के पास कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गिधवा निवासी मृतक चंद्रराम साहू अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी कार क्रामांक सीजी 04 एएमएन 1100 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार चंद्रराम की मौत हो गई। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कार जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

गुरुदासीदास जयंती पर 18 को होगा आयोजन रायपुर (आरएनएस)। गुरुदासीदास गृह निर्माण संस्था मर्यादित रायपुर द्वारा न्यू राजेन्द्रनगर में रथिवाक को आयोजित बैठक में कार्यालय प्रांगण ने 18 दिसंबर को गुरुदासीदास जयंती भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार 18 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए आयोजित बैठक में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। उक्त जानकारी समिति के अध्यक्ष एसके सोनवानी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नई पहल : किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई आए एक मंच पर

बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और यूनिसेफ का संयुक्त आयोजन रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल बच्चों के हित संरक्षण के लिए नई पहल करते हुए पहली बार जिलों के किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई को एक मंच पर लाया गया। इससे संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों में तेजी और स्पष्टता आएगी। बाल संरक्षण आयोग द्वारा आज नया रायपुर रोड स्थित होटल में पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेजकुमार नेताम, यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब शर्कारिया, आईजी पुलिस डॉ. संजीव जूकुरा और महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव पोषण चंद्राकर भी उपस्थित थे।

बैठक में किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण) 2015 तथा पॉक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) 2012 और उनके प्रावधानों के क्रियान्वयन, उन्हें लागू करने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान लॉलित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। बैठक में न्यायाधीशों और अधिकारियों ने बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए बजट के सीधे प्रवाह, किशोर न्याय बोर्ड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, पुलिस द्वारा समय पर चालान प्रस्तुत करना, पीडित की पहचान उजागर न करने जैसे कई सुझाव दिए। श्रीमती तेजकुमार नेताम ने कहा कि बच्चों को उनका पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। सुरक्षा, शिक्षा और सुपोषण हर बच्चों का अधिकार है। बच्चों की सुरक्षा और सुपोषण के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। बैठकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों में बढ़ते मोबाइल और मादक पदार्थों के नशे पर नियंत्रण के लिए न्यायाधीश भादुड़ी से अनुरोध किया। न्यायाधीश भादुड़ी ने बच्चों के हित के लिए कार्य

कर रही सभी संबंधित संस्थाओं और इकाईयों को साथ लाने के लिए बाल संरक्षण आयोग की सराहना की और आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं लेकिन उसका लाभ भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहले नैतिक कहानियों की प्रेरक पुस्तकें बच्चों के हाथ में होती थीं। अब उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल के दुष्प्रभाव को रोकना होगा। इससे बचपन खत्म हो रहा है। उन्होंने न्यायाधीशों और संबंधित अधिकारियों से कहा लोगों की समस्या के निराकरण के लिए आगे बढ़ें और नए रास्ते तैयार करें।

पिता ने कहा कि बेटी बहुत डरी हुई थी। उन्हें बेटी के साथ कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। तब बच्ची की मां ने बेटी से पूछताछ की, लेकिन बच्ची डर के कारण कुछ बता नहीं पा रही थी। बहुत पूछने के बाद उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी माता-पिता को दी। माता-पिता ने तुरंत डायल 112 को कॉल किया और उसे बांगो उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बच्ची को प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रवाना कर दिया। रात करीब डेढ़ बजे बच्ची को जिला अस्पताल कोरबा में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी को वे अपने साथ लेकर गए थे। बीच वाली बेटी घर में थी और ये सबसे बड़ी बेटी है, जिसके साथ जंगल में भव्शेरी चराने के दौरान घटना हुई। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी रविन्द्र कुमार जनार्दन ने बताया कि जिला अस्पताल से उन्हें मेमो मिला है। केस डायरी को बांगो थाने भेजा जाएगा। बांगो थाना पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी घटना की जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही शिकायत मिलती है, वे जांच और कार्रवाई करेंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस फिलहाल

आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले में शनिवार को एक 16 साल के नाबालिग लड़के ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची घटना के बाद डरी-सहमी बच्ची जैसे-तेरे घर पहुंची। तो बेटी के कपड़े खून से सने हुए देखकर परिजनों के होश उड़ गए। पूरी घटना बांगो थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार पीडित बच्ची शनिवार को सुबह जंगल में भव्शेरी चराने के लिए गई थी। पड़ोस का रहने वाला 16 वर्षीय लड़का भी था, जिसे वह बच्ची चाचा कहकर बुलाती थी। आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म

करके किसी से भी कुछ नहीं कहने से मना किया और डरायाधमकाया। घटना के बाद डरी-सहमी बच्ची जैसे-तेरे घर पहुंची। पिता ने कहा कि जब वो और उसकी मां खेत से काम करके लौटे तो बेटी को देखकर हैरान हो गए, उसके कपड़े खून से लथपथ

को दी। माता-पिता ने तुरंत डायल 112 को कॉल किया और उसे बांगो उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बच्ची को प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रवाना कर दिया। रात करीब डेढ़ बजे बच्ची को जिला अस्पताल कोरबा में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी को वे अपने साथ लेकर गए थे। बीच वाली बेटी घर में थी और ये सबसे बड़ी बेटी है, जिसके साथ जंगल में भव्शेरी चराने के दौरान घटना हुई। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी रविन्द्र कुमार जनार्दन ने बताया कि जिला अस्पताल से उन्हें मेमो मिला है। केस डायरी को बांगो थाने भेजा जाएगा। बांगो थाना पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी घटना की जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही शिकायत मिलती है, वे जांच और कार्रवाई करेंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस फिलहाल

दो युवकों के बीच मारपीट : तांगी से हमला कर पड़ोसी को किया घायल, आरोपी जेल दाखिल

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत तुमान में एक युवक ने दूसरे पर तांगी मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। घायल युवक को कटघोरा के उपस्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना कटघोरा थाना क्षेत्र की है। कटघोरा थाना प्रभारी अश्विनी राठौर ने बताया कि ग्राम तुमान के रहने वाले 25 वर्षीय राजेश दास पर गांव में ही रहने वाले फूलसिंह कंवर :30 वर्ष ने तांगी से हमला कर दिया। राजेश दास और फूलसिंह दोनों पड़ोसी हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध भी थे। गांववाले बताते हैं कि राजेश फूल सिंह को बड़े भाई की तरह मानता था। लेकिन बाद में उनके बीच जमीन को लेकर कुछ विवाद हो गया और

तब से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। थाना प्रभारी अश्विनी राठौर ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे दोनों के बीच फिर से जमीन विवाद को लेकर बहस हो गई। दोनों उस वक्त शराब के नशे में धुत थे। राजेश और फूलसिंह दोनों एक-दूसरे के साथ गालीगलौज करने लगे और विवाद हाथापाई में बदल गया। इस बीच फूल सिंह ने राजेश पर तांगी से हमला कर दिया। जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी। डायल 112 ने घायल राजेश दास को कटघोरा उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, वहीं आरोपी फूल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में कटघोरा उप जेल भेज दिया गया है।

आंगनबाड़ी में पांच साल के बच्चे की संदिग्ध मौत

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले के सलियाभाटा आंगनबाड़ी केंद्र में शनिवार को 5 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई। बच्चे के पिता ने बताया कि सुबह उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन बाद में उसके आंगनबाड़ी में बेहोश होने की खबर मिली। जब वे बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला करतला थाना क्षेत्र का है। सलियाभाटा के जितेंद्र दिवाकर अपनी पत्नी गुलशन और दो बेटों के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा 5 साल का है, जिसका

नाम भावेश दिवाकर है। वहीं छोटा बेटा अभी सिर्फ 6 महीने का है। जितेंद्र दिवाकर ने बताया कि उनका 5 साल का बेटा भावेश राजेश की तरह शिविवार दोपहर को 12 बजे अपने दोस्तों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र गया था। वहीं वे उस वक्त गांव के तालाब में नहाने गए थे। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि भावेश आंगनबाड़ी में बेहोश होकर गिर गया है। पिता ने बताया कि बेटे के बेहोश होने की खबर सुनकर वे तुरंत आंगनबाड़ी पहुंचे और वहां से उसे जिला अस्पताल ले गए, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित

कर दिया। बच्चे की मौत कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, ये परिवारवालों को समझ में नहीं आ रहा है। पिता जितेंद्र का कहना है कि उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ था और रोज की तरह आंगनबाड़ी केंद्र गया था। इस बीच उसके साथ क्या घटना घटी है, इसकी जांच होनी चाहिए। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्याम भाई खैरवार का कहना है कि भावेश को आंगनबाड़ी ले जाने के लिए वो सुबह 10 बजे उसके घर गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो उस वक्त उसके साथ नहीं आया। बाद

राज्योत्सव: वन विभाग के स्टॉल में वनवासियों के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं का जीवंत प्रदर्शन



जानकारी भी दी जा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के दिशा-निर्देशन में तैयार वन विभाग के स्टॉल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। स्टॉल के अलग-अलग भाग में संयुक्त वन प्रबंधन समिति तथा महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रसंस्करण के कार्यों, नरवा विकास परियोजना अंतर्गत भू-जल संरक्षण का विशाल प्रदर्श (मॉडल), छत्तीसगढ़

हर्बल संजीवनी के स्टॉल व अन्य उत्पाद के स्टॉल लगाए गए हैं। इसी तरह वन्यप्राणी संरक्षण प्रभाग अंतर्गत मानव-हाथी द्वंद के रोकथाम उपाय आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिसमें बताया गया है कि हाथी को देखते ही वन अमला को सूचना दें। हाथी आगमन की सूचना पर दल बनाकर रात्रि गश्त करें। हाथियों से अधिक दूरी बनाकर रखें। यदि हाथी आपके पीछे दौड़ते हैं तो सीधे न दौड़कर आड़े-तिरछे दौड़ें। यदि पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो ढलान की दिशा में दौड़ें। बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों को हाथी के समीप न जाने दें। सोने के कमरे में अनाज भण्डारित न करें। हाथी से छेड़छाड़ एवं उन्हें जखमी न करें। खुले खलिहान में न सोयें। अकेले-दुकेले जंगल में न जाएं। खेत में हाथी आने पर अकेले हाथी को भगाने का प्रयास न करें। हाथी प्रभावित गांव में सूदूर क्षेत्र में अकेले बने हुए घर में न सोयें। हाथी के साथ सेल्फी लेने का प्रयास न करें। हाथी को चारों तरफ से न घेरें। रिहायशी मकान में हडिआ दारू एवं महुआ न रखें। गौरतलब है कि प्रदेश में लगभग 287 जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं। मानव-हाथी द्वंद प्रबंधन के तहत वन विभाग द्वारा वनमंडलों में 14 गजराज वाहन उपलब्ध कराये गए हैं और 'सजा' एलीफेंट अलर्ट सिस्टम 139 गांवों में स्थापित किया गया है।

परछी विवाद सुलझाने को लेकर महिला से मारपीट

कोरबा (आरएनएस)। रथनीबाई उम्र 50 पति चमार सिंह उरांव दोनों पक्षों में हो रहे उग्र विवाद एवं मारपीट की स्थिति को वहां पहुंचकर सुलझाने का प्रयास करने लगी। इसी बीच चमराराम, राजेश, जितेन्द्र ने एक राय होकर उसकी पिटाई कर दी। पाली पुलिस ने प्रार्थिका की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 357/22 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि के तहत एक राय होकर मारपीट किये जाने को अग्रान्ह विवाद चल रहा था। उस दौरान उरांव पारा निवासी

रथनीबाई उम्र 50 पति चमार सिंह उरांव दोनों पक्षों में हो रहे उग्र विवाद एवं मारपीट की स्थिति को वहां पहुंचकर सुलझाने का प्रयास करने लगी। इसी बीच चमराराम, राजेश, जितेन्द्र ने एक राय होकर उसकी पिटाई कर दी। पाली पुलिस ने प्रार्थिका की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 357/22 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि के तहत एक राय होकर मारपीट किये जाने को अग्रान्ह विवाद चल रहा था। उस दौरान उरांव पारा निवासी

नौकरी के नाम पर 8 लाख की ठगी करने वाले आरोपी दंपति गिरफ्तार



पिता मर्गऊ राम निषाद उम्र 42 वर्ष निवासी साकेतनगर गोविन्दपुर काकेर तथा लता निषाद पति राजेश्वर निषाद उम्र 35 साकेतनगर गोविन्दपुर काकेर ने प्रार्थिका से नौकरी लगाने के नाम से 08 लाख रुपए की ठगी किया है। प्रार्थिका की रिपोर्ट पर थाना काकेर में अपराध धारा-420,34

भारवि कायम कर विवेचना में लिया गया। थाना काकेर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान संकलित तथ्यों से यह पाया कि दोनों आरोपियों के द्वारा एक राय होकर प्रार्थिका और उसके भाई-बहन को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर वर्ष 2020 में विभिन्न तिथि को अपने बैंक खाते में एवं नकदी कुल आठ लाख रुपए ले लिए थे, और कुछ ही महीनों में नौकरी में ज्वाइन कराने की बात बोलकर प्रार्थिका को गुमराह करते रहे प्रार्थिका और उसके परिवार के सदस्य आरोपियों से संपर्क कर

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार दी न्याय तक

इस संघ का गठनसमर्पण स्वीकृत है। पंजीत को न्याय दिलाने के लिए किए गए हैं, जिसे स्वीकृत करने से मानव हक है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा संपर्क हेतु नं 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं संरक्षक एडवोकेट श्री म. लक्ष्मण कुमार (अधिवक्ता, मानवीय उपाय-न्यायालय), एवं ज्यूरिस्ट डॉ. के. लक्ष्मण कुमार (सी.बी.एन.), श्रीमती के.के. लक्ष्मण, श्रीमती ए.के. लक्ष्मण एवं अन्य के धन्यवाद ज्ञापित किया, और कल कि संघ के पास सामाजिक न्याय अथवा मानवीयकरण इत्यादि तथ्यों के प्रस्तुत होने पर, उसे विवेचना में रखने एवं प्रत्येक न्याय में विवेचना प्रदान करने पर अतीव एवं तत्परता के साथ संघ की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, विधि, न्याय तथ्यों के साथ एवं लेबर वेल्फेयर, अर्थ, परिवारिक, विधवाओं के अर्थान के लिए कार्य किया जाएगा।

आवश्यकता

मुक्त रूप से संघ का उद्देश्य स्वीकृत करने के समस्त विवेका एवं वकील स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवीयकरण हेतु अनारक्षक सेवा करना है। संघ तत्परता एवं अर्थात्तः विवेका के माध्यम से मानवीयकरण के अर्थान में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रत्येक के समस्त विवेका एवं वकील स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवीयकरण संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उन्हीं संघ के द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति को जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित निम्न एवं दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फॉर्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

प्रार्थिका एवं पंजीत व्यक्ति को सम्पर्क को सुनना, आवेदन लेना तथा पंजीत को न्याय दिलाने के लिए उपयुक्त साधन एवं संरक्षकों की जरूरत के अनुसार व्ययकरा करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पंजीत व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिपरक एवं लैबरक के अनुसार आवश्यक मदद को जायेगी।

मुख्य बिन्दु

पंजीत विवेका एवं पंजीत व्यक्तियों को सुनना, आवेदन लेना तथा पंजीत को न्याय दिलाने के लिए उपयुक्त साधन एवं संरक्षकों की जरूरत के अनुसार व्ययकरा करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पंजीत व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिपरक एवं लैबरक के अनुसार आवश्यक मदद को जायेगी।

पंजीत संपर्क करें

पंजीत विवेका एवं पंजीत व्यक्तियों को सुनना, आवेदन लेना तथा पंजीत को न्याय दिलाने के लिए उपयुक्त साधन एवं संरक्षकों की जरूरत के अनुसार व्ययकरा करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पंजीत व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिपरक एवं लैबरक के अनुसार आवश्यक मदद को जायेगी।

अन्य बिन्दु

- संघ सदस्यता के अर्थान में पंजीत व्यक्तियों को सुनना, आवेदन लेना तथा पंजीत को न्याय दिलाने के लिए उपयुक्त साधन एवं संरक्षकों की जरूरत के अनुसार व्ययकरा करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पंजीत व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिपरक एवं लैबरक के अनुसार आवश्यक मदद को जायेगी।
- पंजीत व्यक्तियों को सुनना, आवेदन लेना तथा पंजीत को न्याय दिलाने के लिए उपयुक्त साधन एवं संरक्षकों की जरूरत के अनुसार व्ययकरा करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पंजीत व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिपरक एवं लैबरक के अनुसार आवश्यक मदद को जायेगी।

पहिए
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पंजीत मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU